संख्या-65/2019/1147/26-3-2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक: 8 मार्च 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय छाउछ लखीमपुर खीरी बेलापरसुआ लखीमपुर खीरी, विशुनपुर विश्राम बलरामपुर बालापुर बलरामपुर सिरसिया श्रावस्ती एवं बिछिया बहराईच में आवासीय अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शुद्व पेय जल एवं अन्य दैनिक कार्यो की पूर्ति हेतु 50 किलोलीटर क्षमता की पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय,जनजाति विकास के पत्रांक-425/75/ज.जा.वि./निर्माण/2018-19, दिनांक-08.03.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''**4225-02-796-05-24-वृहद निर्माण कार्य''** में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय,छाउछ,लखीमपुर खीरी, बेलापरसुआ, लखीमपुर खीरी, विशुनपुर विश्राम, बलरामपुर, बालापुर, बलरामपुर, सिरसिया, श्रावस्ती एवं बिछिया,बहराईच में आवासीय अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शुद्व पेय जल एवं अन्य दैनिक कार्यो की पूर्ति हेतु 50 किलोलीटर क्षमता की पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने हेतु आंकलित धनराशि **रूपये-148.14 लाख (रूपये-एक करोड़ अड़तालिस लाख चौदह हजार मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं-

(1)-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायोगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशक, जनजाति विकास के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5)- आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(6)-कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन की यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- 05-अनुसूचित जनजातियों के लिये बालक एवं बालिकाओं के लिये छात्रावास का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-65/2019/1147/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, समस्त सम्बन्धित जनपद द्वारा निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।